मध्य प्रदेश प्रशासन

बनाम

त्रिभुबन

अप्रैल 05, 2007

[एस.बी. सिन्हा और मार्कंडेय काटजू, न्यायमूर्ति]

औद्योगिक वाद अधिनियम, 1947- धारा 11 ए- सेवा में अंतराल सिहत अस्थाई नियुक्त व्यक्ति की सेवा का पर्यवसान- औद्योगिक न्यायालय द्वारा छंटनी मुआवजा-उच्च न्यायालय द्वारा पूर्ण बकाया मजद्री सिहत सेवा में बहाली-शुद्धता-अभिनिधीरितः मामले के विशिष्ट तथ्यों व परिस्थितियों के मध्यनजर उच्च न्यायालय को औद्योगिक न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली अधिकारिता को ध्यान में रखना चाहिए था। इस प्रकार, न्यायिहत में, कर्मचारी को मुआयजा दिए जाने का निर्देश दिया गया।

अपीलार्थी द्वारा उत्तरदाता को समय-समय पर सेवा अंतराल के साथ अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया था। उनकी सेवा समाप्त कर दी गई। इसके बाद, एक औद्योगिक विवाद उठाया गया और इसे औद्योगिक न्यायाधिकरण को भेजा गया। न्यायाधिकरण ने छंटनी मुआवजा का पंचाट दिया क्योंकि अपीलार्थी ने औद्योगिक वाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 एफ की आवश्यकता का पालन नहीं किया था।

अपीलार्थी ने पंचाट को चुनौती नहीं दी। हालांकि, प्रतिवादी ने रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने प्रत्यर्थी को पूर्ण बकाया वेतन के साथ फिर से नियुक्त करने का निर्देश दिया। खंड पीठ ने आदेश को बरकरार रखा। इसलिए वर्तमान अपील।

आंशिक रूप से अपील की अनुमित देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

1.1 औद्योगिक न्यायालय ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 11 ए के तहत अपने विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया। यह केवल प्रतिकर की वह राशि जिसके लिए प्रत्यर्थी हकदार था, जो धारा 25 एफ के प्रावधानों का पालन किए जाने पर न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए।

यह इंगित नहीं करता है कि उच्च न्यायालय कथित आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, लेकिन औद्योगिक न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली विवेकाधीन अधिकारिता को इस प्रश्न के निर्धारण के लिए विचार करना चाहिए था कि इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में क्या अनुतोष प्रदत्त किया जाना चाहिए था। प्रत्येक मामले को तथ्यात्मक स्थिति में निपटाया जाना आवश्यक है। [पैरा 13] [924-एफ-जी]

1.2 मामले के विशिष्ट तथ्यों तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और विशिष्टतः यह तथ्य कि उच्च न्यायालय ने पूर्ण बकाया मजदूरी के साथ पुनः स्थापना का निर्देश दिया, 75,000/-रूपए का भुगतान प्रत्यर्थी को प्रतिकर के रूप में करने के लिए निर्देशित करने से न्याय के उद्देश्य की पूर्ति होगी। [पैरा 14] [924-एच ; 925-ए]

सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम उमादेवी (3) व अन्य।, [2006] 4 एस. सी. सी. 1; एम.पी. हाउसिंग बोर्ड व एक अन्य बनाम मनोज श्रीवास्तव, [2006] 2 एससीसी 702; एम.पी. राज्य व अन्य बनाम अर्जुनलाल रजक, [2006] 2 एससीसी 711 और एम.पी. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड और एक अन्य बनाम एस.सी. पांडे, [2006] 2 एस.सी.सी. 716, पर निर्भर किया।

जसबीर सिंह बनाम पंजाब एंड सिंध बैंक और अन्य।, [2007] 1 एससीसी 566, सुभिन्न किया गया।

मुइर मिल्स इकाई लिमिटड एनटीसी (यू.पी.) बनाम स्वयं प्रकाश श्रीवास्तव और अन्य., [2007] 1 एस.सी.सी. 491 और उत्तरांचल वन विकास निगम बनाम। एम.सी. जोशी, (2007) 3 एससीएएलई 545, निर्दिष्ट किया गया।

सिविल अपीलीय अधिकारिताः सिविल अपील सं. 1817/2007

दिल्ली उच्च न्यायालय के एल.पी.ए. संख्या- 622/2005 में के अंतिम निर्णय एवं आदेश दिनांकित 19.04.2005 से।

विकास सिंह, ए.एस.जी और शिबो शंकर मिश्रा, अपीलार्थी की ओर से

संजोय घोष, अनिथा शिनोय और नितिन, प्रत्यर्थी की ओर से। निर्णय एस.बी. सिन्हा न्यायमूर्ति द्वारा पारित किया गया-

1 अनुमति दी गई।

2. मध्य प्रदेश राज्य दिल्ली में मध्य प्रदेश भवन के नाम से एक प्रतिष्ठान चलाता है। प्रत्यर्थी को समय-समय पर सेवा अंतराल के साथ अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया था। उसने 13.12.1991 से 1.3.1994 की अविध के लिए काम किया। उसकी सेवाओं को समाप्त करने के बाद एक औद्योगिक विवाद उठा। उक्त विवाद को औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष इसके निर्धारण के लिए भेजा गया था। औद्योगिक न्यायाधिकरण ने पंचाट दिनांकित 26.7.2002 द्वारा यह अभिनिर्धारित करते हुए कि प्रत्यर्थीयों की सेवाओं को समाप्त करने में अपीलार्थी औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 एफ में निहित वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है, केवल 9 प्रतिशत प्रति वार्षिक दर से ब्याज सिहत नोटिस भुगतान के साथ छंटनी मुआवजा प्रदान किया।

अपीलार्थी द्वारा उक्त पंचाट की वैधता पर सवाल नहीं उठाया गया। हालांकि, प्रत्यर्थी ने एक रिट याचिका इसके विरूद्ध दायर की। दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने निर्णय एवं आदेश दिनांकित 24.2.2005 और 15.4.2005 द्वारा उक्त रिट याचिका को स्वीकार कर प्रत्यर्थी को पूर्ण बकाया वेतन के साथ फिर से स्थापित करने का निर्देश

दिया। इसके खिलाफ दायर एक अंतर - न्यायालयीय अपील को इस न्यायालय की खंड पीठ ने आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दिया।

- 3. श्री विकास सिंह, अपर सॉलिसिटर जनरल ने अपीलार्थी की ओ से उपस्थित होकर निवेदन किया कि मध्य प्रदेश भवन मध्य प्रदेश सरकार का केवल एक सिर्किट हाउस है। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2 (जे) के अर्थ में "उद्योग" नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि मामले को देखते हुए, यह एक उपयुक्त मामला नहीं था जिसमें पूर्ण वेतन के साथ पुनः नियुक्ति का निर्देश जारी किया जाना चाहिए था।
- 4. दूसरी तरफ श्री सुजॉय घोष, विद्वान अधिवक्ता ने प्रत्यर्थी की ओर से निवेदन किया कि यद्यपि यह प्रश्न कि क्या राज्य के संप्रभु कार्य "उद्योग" की परिभाषा के दायरे में आएंगे, सात न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष विचार के लिए लंबित है, जिसे यू.पी. बनाम जय वीर सिंह, [2005] 5 एस.सी.सी. 1 में एक संविधान पीठ द्वारा संदर्भित किया गया है, लेकिन जब तक मौजूदा कानून अपास्त नहीं किया जाता है, मध्य प्रदेश भवन जिसमें निजी मेहमानों का भी सत्कार किया जाता है।

इस प्रतिष्ठान को "उद्योग" के दायरे में लाएगा। औद्योगिक न्यायालय अपने पंचाट दिनांकित 26.7.2002 द्वारा इस प्रभाव के निष्कर्ष पर पहुंचा है, जिसे प्रश्नतगत नहीं किया गया है, किसी भी स्थिति में अपीलार्थी को इस न्यायालय के समक्ष इसे उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह तर्क दिया था कि 89 दिनों की सेवा के बाद कृत्रिम विराम सद्भाविक नहीं होने के कारण, एक कर्मचारी की सेवाओं की समाप्ति अधिनियम की धारा 2 (00) (बीबी) के तहत परिकल्पित अपवादों के भीतर नहीं आएगी।

यह तर्क दिया गया कि औद्योगिक विवाद अधिनियम इसकी धारा 2 (एस) में निहित "कर्मकार" की परिभाषा को देखते हुए दैनिक मजदूर और स्थायी कर्मचारी के बीच कोई अंतर नहीं करता है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी को पूर्ण बकाया वेतन के साथ फिर से स्थापित करने का निर्देश देने में कोई अवैधता की है, क्योंकि स्वीकृत रूप से औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 एफ के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था।

5. यह प्रश्न की क्या अपीलार्थी के क्रियाकलाप औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2 (जे) में निहित "उद्योग" की वैधानिक परिभाषा में वैधानिक परिक्षण का संतुष्ट करती है या नहीं, हमारी राय में इस मामले में जाने की आवश्यता नहीं है। औद्योगिक न्यायालय ने राय दी है कि यह एक उद्योग था। औद्योगिक न्यायालय के पंचाट की वैधता पर कोई सवाल नहीं उठाया गया था। इस प्रकार जहां तक अपीलार्थी का संबंध है कि वह अंतिमता प्राप्त कर चुका है। इसलिए, हमारी राय में यह पलटने और तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि दिल्ली प्रतिष्ठान "उद्योग" की परिभाषा की परिधि में नहीं आता है।

6. हालांकि, जो सवाल विचार के लिए उठता है वह यह है कि क्या इस प्रकृति की स्थिति में उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश एवं परिणामतः खण्ड पीठ को प्रत्यर्थी की पूर्ण बकाया वेतन सहित पुनः नियुक्ति का निर्देश देना चाहिए था। जबिक एक समय पर, इस तरह ऐसा अनुतोष स्वतः ही प्रदत्त किया जाता था, परंतु कई अन्य तत्वों को तथा विशेषतः सार्वजनिक रोजगार एवं सार्वजनिक धन की भागीदारी के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय के हाल ही के निर्णयों में उक्त प्रवृति में एक परिवर्तन पाया गया है।

इस प्रकार के अनुतोष प्रदत्त करने के मामलों में इस न्यायालय ने बहुतायत फैसलों में दैनिक मजदूर जो कोई पद धारित नहीं करता है तथा स्थायी कर्मचारी के बीच अंतर किया। अधिनियम की धारा 2 (एस) में निहित "कर्मचारी" की परिभाषा व्यापक है और इसके दायरे में इसमें निर्दिष्ट श्रमिकों की सभी श्रेणियों को शामिल करता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि औद्योगिक विवाद जो न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित है

भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत संयुग्मित साम्या की संवैधानिक योजना को लागू करना, इस न्यायालय की संविधान पीठ के सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम उमादेवी (3) और अन्य, ख [2006] 4 एस. सी. सी. 1 के निर्णय के प्रकाश में और न्यायालय द्वारा निर्णयों के एक समूह में बताए गए अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

- 7. नियुक्ति की प्रकृति, क्या कोई पद स्वीकृत था अथवा क्या संबंधित अधिकारी को नियुक्ति करने का कोई अधिकार था। प्रासंगिक कारक है।
- 8. देखें एम.पी. हाउसिंग बोर्ड व अन्य बनाम मनोज श्रीवास्तव [2006] 2 एस. सी. सी. 702, एम.पी. राज्य व अन्य बनाम अर्जुन लाल रजाक [2006] 2 एस. सी. सी. 711, तथा एम.पी. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड व अन्य बनाम एस.सी. पांडे [2006] 2 एस. सी. सी. 716
- 9. इस न्यायालय के हाल के एक फैसले जसवीर सिंह बनाम पंजाब एंड सिंध बैंक और अन्य [2007] 1 एस. सी. सी. 566 की ओर प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा हमारा ध्यान आकर्षित किया गया। हमें यह समझा नहीं आता कि उक्त निर्णय वर्तमान मामले के तथ्य पर कैसे लागू होता है।
- 10. जसवीर सिंह (उपरोक्त) के मामले में, पर्यवसान का आदेश दुराचार के आधार पर पारित किया गया था। उक्त प्रश्न भी वाद का एक विषय था। जिसमें सिविल न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि अपीलार्थी इसमें दुराचार का दोषी नहीं था। केवल उस संदर्भ में, न्यायालय द्वारा प्रदत्त अनुतोष के संबंध में प्रश्न पर औद्योगिक न्यायालय द्वारा

औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 11 ए के तहत प्रदत्त किए जाने सकने वाले अनुतोष की रोशनी में यह कहते हुए विचार किया गया कि;

"हालांकि, यह आग्रह किया गया था कि बकाया मजदूरी के भुगतान करने का निर्देश नहीं दिया जाना चाहिए था। इस संबंध में यू.पी. राज्य ब्रासवेयर कॉर्प. लिमिटेड बनाम उदय नारायण पांडे पर भरोसा किया गया। इस मामले में यह न्यायालय औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 11ए के तहत औद्योगिक न्यायालयों की शक्ति के संबंध में विचार कर रहा था। वहां पर क्योंकि प्रतिष्ठान बंद हो गया था। इसलिए पुनः नियुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता था। फिर भी, 25 प्रतिशत बकाया मजदूरी का भुगतान करने का और साथ ही यू.पी. विवाद अधिनियम की धारा 6-एन. के अनुसार देय क्षतिपूर्ति का निर्देश दिया गया था।

सिविल न्यायालय और आपराधिक न्यायालय दोनों के निर्णय में धारित किया कि अपीलार्थी के साथ बहुत ही अनुचित रूप से एवं अयुक्तियुक्त रूप से व्यवहार किया गया। सभी आशयों को उद्देश्यों के लिए एक आपराधिक मामला उस पर दर्ज किया गया। विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अनुसार, एक स्वीकारोक्ति, बैंक अधिकारियों द्वारा उससे बहुत कूरर तरीके से ली गई। इसलिए, यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें बकाया

मजदूरी से इंकार किया जाना चाहिए। प्रत्यर्थी बैंक ने अपीलार्थी के खिलाफ दीवानी कार्यवाही के साथ साथ आपराधिक कार्यवाही करने का प्रयास किया और दोनों स्वतंत्र मंच पर यह विफल रहा।"

11. हमने देखा कि हाल ही में मुइर मिल्स इकाई लिमिटड एनटीसी (यू.पी.) बनाम स्वयं प्रकाश श्रीवास्तव और अन्य, [2007] 1 एस.सी.सी. 491 में इस न्यायालय की एक पीठ ने यह राय दी:

"उत्तरदाताओं के तर्क के संबंध में कि वर्तमान तथ्यात्मक स्थित में छंटनी विधि के तहत गलत है, क्योंकि धारा 6-एन की शतों को, जो कर्मचारी की छंटनी से पूर्व एक युक्तियुक्त नोटिस इसको दिए जाने की बात करता है, पूरा नहीं किया गया, हमारे विचार में यद्यपि धारा 6-एन का परंतुक यह कहता है कि "कोई नोटिस जरूरी नहीं होगा यदि छंटनी ऐसे अनुबंध के अधीन ह जो सेवा समाप्ति की एक तिथि विनिर्दिष्ट करता है"। वर्तमान मामले में नियुक्ति पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या-1 को कोई नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है।

प्रत्यर्थीगण ने छंटनी किए गए कामगार को मजदूरी का भुगतान किए जाने के संबंध में कई मामलों का उल्लेख किया था। विद्वान अधिवक्ता ने इस तर्क के समर्थन में इस न्यायालय के कई फैसलों का हवाला दिया। हालांकि हम प्रत्यर्थीगण की इस अभिवाक् को संबोधित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले से ही देखा है कि प्रत्यर्थी 1 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 और यू.पी.आई.डी. अधिनियम, 1947 के तहत एक कर्मचारी नहीं है और छंटनी अवैध नहीं थी। इसलिए बकाया मजदूरी का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।"

12. हम यह भी देख सकते हैं कि उत्तरांचल वन विकास कॉरपोरेशन बनाम एम.सी.जोशी, [2007] 3 एससीएएलई 545 में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया;

"यद्यपि अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार श्रम न्यायालय और उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने में त्रुटि की कि प्रत्यर्थी की सेवाओं को समाप्त करने में उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 6-एन के प्रावधान का उल्लघन किया गया था, हम इस आधार पर अग्रसर होंगे कि उक्त निष्कर्ष सही है।

हालांकि, सवाल यह होगा कि क्या इस तरह की स्थिति में सेवाओं में बहाली का अनुतोष मिलना चाहिए था, यह अब इस न्यायालय के निर्णयों की श्रृंखला के आधार पर सुस्थापित है कि बकाया मजदूरी सहित सेवा में बहाली का अनुतोष केवल इसलिए स्वतः ही नहीं दिया जाएगा कि ऐसा करना विधिपूर्ण है। उक्त उद्देश्य के लिए कई कारकों को विचार में लिए जाने की आवश्यकता होती है, उनमें से एक यह है कि क्या ऐसी नियुक्ति वैधानिक नियमों के अनुसार की गई थी। औद्योगिक विवाद को उठाने में विलम्ब भी एक सुसंगत तथ्य है।

हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम बनाम मामनी, ए.आई.आर. (2006) एस.सी. 2427 में इस न्यायालय ने मुआवजे के भुगतान का निर्देश दिया। उत्तरपूर्वी कर्नाटक आर.टी. निगम बनाम आशप्पा, [2006] 5 एस.सी.सी. 137 और यू.पी. राज्य सड़क परिवहन निगम मान सिंह [2006] एस.सी.सी. 752 में इसी तरह के आदेश पारित किए गए।"

मानसिंह (उपरोक्त) में यह धारित किया गया :-

" 7. प्रत्यर्थी ने स्वीकृत रूप से 1986 में एक विवाद उठाया, अर्थात् लगभग 12 वर्ष की अविध के बाद, एक उचित मामले में यह सच हो सकता है कि जैसा कि श्रम न्यायालय द्वारा किया गया है, विवाद को उठाने में विलम्ब के परिणामस्वरूप उसके बकाया मजदूरी के दावे उस अविध के लिए जिसके दौरान कर्मचारी अनुपस्थित रहता है को अस्वीकार कर दिया होगा जैसा कि इस न्यायालय द्वारा गुरमैल सिंह बनाम प्रधानाचार्य राजकीय शिक्षा महाविद्यालय में अभिनिधीरित किया गया हो। लेकिन हमारी राय में वैवेकिक अनुतोष सभी हाजिर परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दिया जाना चाहिए। अपीलार्थी एक सांविधिक

निगम है इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्थी को एक अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया था यह संभावना नहीं थी कि वह इतने लम्बे समय तक बेरोजगार रहे।

किसी भी मामले में इस समय की दूरी अर्थात् 30 वर्ष से अधिक की अवधि के बाद प्रत्यर्थी की सेवा में प्रत्यक्ष बहाली पूरी तरह से अन्यायपूर्ण होगा। दुर्भाग्य से, श्रम न्यायालय या उच्च न्यायालय ने मामले के इन पहलुओं पर विचार नहीं किया।"

8. इस मामले के विशिष्ट तथ्यों व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारी राय है कि प्रत्यर्थी की 1986 से बकाया मजदूरी सहित पुनः बहाली के बजाय और इसके स्थान पर यदि अपीलार्थी को 50,000/-रूपए की राशि का भुगतान उसे करने का निर्देश दिया जाता है तो न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। इसी समान आदेश, जिन्हें हम रिकॉर्ड में रख सकते हैं, इस न्यायालय द्वारा राजस्थान राज्य बनाम ज्ञानचंद, एम.पी. राज्य बनाम अर्जुनलाल रजाक, नगर महापालिका (अब नगर निगम) बनाम यू. पी. राज्य तथा हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड बनाम ममनी" में पारित किए गए।

आगे यह भी अभिनिधारित किया गया :

"इस न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय सचिव कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम उमादेवी (3) और अन्य, [2006] 4 एस.सी.सी. 1 के प्रकाश में विधिक स्थिति तब से एक परिवर्तन से गुजरी है जिसमें इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर "राज्य संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में निहित प्रावधानों का पालन करने के लिए एक संवैधानिक दायित्व के अधीन है।"

- 13. इस मामले में, औद्योगिक न्यायालय ने औद्योगिक विवाद की अधिनियम की धारा 11 ए के तहत अपने विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया। इसने केवल उस प्रतिकर की राशि का निर्देश, इसके लिए प्रत्यर्थी हकदार था, यदि धारा 25 एफ के प्रावधानों का पालन किया गया था, तो यह न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। हम यह सुझाव नहीं दे रहे हैं कि उच्च न्यायालय उक्त आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, लेकिन हमारी राय में इस प्रश्न का निर्धारण करने के लिए कि इस मामले के विशिष्ट तथ्यों व परिस्थितियों में क्या अनुतोष दिया जाना चाहिए। औद्योगिक न्यायालय द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विवेकाधीन क्षेत्राधिकार पर विचार किया जाना चाहिए था। प्रत्येक मामले को मामले की तथ्यात्मक स्थिति में निपटाया जाना आवश्यक है।
- 14. इसलिए, हमारी राय है कि इस मामले के विशेष तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और विशिष्टतः इस तथ्य को मध्य नजर कि उच्च न्यायालय में पूर्ण बकाया वेतन के साथ पुनः नियुक्ति का निर्देश दिया था, हम इस बात से सहमत है, कि यदि अपीलार्थी को पूर्ण बकाया वेतन के साथ 75,000/- रूपए की राशि का भुगतान प्रत्यर्थी को

प्रति कर के रूप में दिए जाने का आदेश दिया जाता है तो न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी । उपरोक्त सीमा तक अपील स्वीकार की जाती है ।

15. तथापि, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, खर्चा के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अपील आंशिक रूप से स्वीकार जाती है। एन.जे. यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी रामपाल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है। अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।